

मूल वाद में अन्तिम डिक्री  
बमुकद में ईबतदाई  
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता



न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :- रमेश देव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 253/2022

वादपत्र अं. धारा 53 आर.टी.ए.

सकन्दरपाल सिंह पुत्र बलविन्द्र सिंह जाति जटसिख नि. नुकेरा तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)  
-वादी

बनाम

1. दारासिंह पुत्र उजागर सिंह जाति जटसिख नि. नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. बलविन्द्र सिंह पुत्र उजागर सिंह जाति जटसिख नि. नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
3. बलतेज कौर पत्नी महेन्द्र सिंह जाति जटसिख नि. मडाक तह.जीतो जिला श्रीफरीदकोट (पंजाब)
4. सुरेन्द्र कौर पुत्री जाति जटसिख नि. मडाक तह.जीतो जिला श्री फरीदकोट (पंजाब)
5. गुरदाल कौर पुत्री महेन्द्र सिंह जाति जटसिख नि. मडाक तह.जीतो जिला श्रीफरीदकोट (पंजाब)
6. रघुवीर सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जटसिख नि. मडाक तह.जीतो जिला श्री फरीदकोट (पंजाब)
7. दवेन्द्र सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जटसिख नि. मडाक तह.जीतो जिला श्री फरीदकोट (पंजाब)
8. गुरजीत सिंह पुत्र गुरचरण सिंह जाति जटसिख नि.मडाक तह.जीतो जिला श्रीफरीदकोट (पंजाब)
9. बेअन्त सिंह पुत्र गुरचरण सिंह जाति जटसिख नि. मडाक तह.जीतो जिला श्रीफरीदकोट (पंजाब)
10. राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा नुकेरा
11. पंजाब नेशनल बैंक शाखा संगरिया
12. तहसीलदार संगरिया।

प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक :-

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ रमेश देव आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री सन्तोश सोलकी वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री राधेश्याम वकील प्रतिवादी संख्या 1,2,10 व श्री कुलदीप मूण्ड प्रति.स. 10 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है एव तहसीलदार भू.अ.संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मुताबिक अन्तिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है कि चक 2 आईडीजी में कब्जा काश्त अनुसार स्थिति निम्न प्रकार से है:-

1. सकन्दपाल सिंह पुत्र बलविन्द्र सिंह जाति जटसिख साकिन नुकेरा पं.न. 147/122 मु.न. 12 किला नम्बर 17,18/0.506 है. कुल 0.506 है. नहरी
2. बलविन्द्र सिंह पुत्र उजागर सिंह जाति जटसिख साकिन नुकेरा पं.न. 147/122 मु.न. 12 किला नं. 15/1/0.228 है. 15/2/0.025 है.गै.मु. रास्ता, 16/1/0.228 है. 16/2/0.025 है. गै.मु. रास्ता 23,24/0.506 है. 25/1/0.228 है. 25/2/0.025 है.गै.मु. रास्ता प.न. 147/123 मु.न. 13 किला नं. 5/1/0.062 है. 5/2/0.025 है. गै.मु. रास्ता प.न. 147/128 मु.न. 36 किला नं. 4/1/0.228 है. 4/2/0.025 है. गै.मु. रास्ता 5/1/0.202 है. 5/2/0.51 गै.मु. रास्ता कुल 1.858 है. नहरी मय गैर मु.

3. दारासिंह पुत्र उजागर सिंह जाति जटसिख सा.नुकेरा प.न. 147/123 मु.न. 13 किला नं. 3/1/0.228 है. 3/2/0.025 है. गै.मु.रास्ता 4/1/0.228 है. 4/2/0.025 है.गै.मु. रास्ता 5/1/0.140 है. 5/2/0.007 है. गै.मु. रास्ता पं.न. 147/128 मु.न. 36 किला नं. 6/1/0.228 है. 6/2/0.025 है. गै.मु. रास्ता 15/1/0.228 है. 15/2/0.025 है. गै.मु. रास्ता कुल 2.171 है. नहरी मय गैर मु.
4. गुरजीत सिंह, बेअन्त सिंह पुत्रगण गुरचरण सिंह जाति जटसिख सा.मडाक तहसील जैतो पं. न. 147/123 मु.न. 13 किला नं. 5/2/0.019 है. गैर मु. रास्ता कुल 0.019 रास्ता

अतः उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तहसीलदार संगरिया की अनुशंशा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार भू.अ.संगरिया के पत्र क्रमांक ए-4/प्रा.डिक्री/भू.अ./023/852 दिनांक 15.03.2023 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

नोट :- यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज.....x.....मुब्लिक.....x.....बाबत.....x.....खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक.....x.....को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 29/05/2023 को खुले न्यायालय में जारी किया गया।

(रमेश देव)  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी,  
संगरिया

